FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत _____ मुकाम _____

मोहन बनाम Pdr Deah

किस्म मुकदमा प्रार्थना अपील/स्थगन नं. 45 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/24	अधिवक्ता वादी / प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जि. किया जाकर प्रतिवादी / आदि को, नगर की तलबी / रजि. AD से जारी हो। पत्रावली दिनांक 15/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी देवली	
15/4/24	PO सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 29/5/24 को पेश हो।	
29/5/24	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 302 ख. नं. 1787/80 रकबा 0.15 है0 व ख. नं. 1945/80 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम रामथला में प्रार्थी खातेदार के अलावा अन्य सहखातेदार भी है जिसको प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा उक्त भूमि गै. मु. आबादी में दर्ज है, जिसमें मौके पर दुकाने बनी हुई है और विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने, भूमि की किस्म गै. मु. आबादी होने के साथ ही विवादित भूमि पर दुकाने बनी होने व विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 128 के प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं आने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	